

नवावालय परगना अधिकारी धामपुर

नाम सं 18/18
बेत विद्या प्रसार समिति
बनाम
गाम तथा करारजमा

धारा-143(2) 800 एक्ट।
गौजा- चहराजमल।
परगना- धामपुर।

आदेश:- ति 0 अक्टोबर - 21-1-10



Handwritten initials 'S.F.B.' in blue ink.

प्रस्तुत नाम की कार्रवाई वाली महेन्द्र प्रसाद सिंह राणा अधिका-बेत विद्या प्रसार समिति उक्त धारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर आरम्भ की गई। जिसमें धारा कहा गया है कि लाठी आराजी स्थित ग्राम-चकराजमल गाटा सं-500/0. 974, 496-126 के बकरभाग, 495/0. 025 के बकरभाग का शेर्गी-1 त्वागी मालिक है। उक्त में प्रमिति द्वारा भाजन निर्माण कराया जा चुका है। अब उक्त भूमि कृषिकार्य, कुकुटशाला, बागवानी, बशुशाला आदि के प्रयोजन में नहीं आ रही है। अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने की कृपा करें। इत सम्बन्ध में तहदार धामपुर से जांच आकर प्राप्त की गई। तहसीलदार धामपुर द्वारा अपनी आकरा 1-12-09 गन प्रारूप-135 नवावालय को प्रेषित की गई। जिसमें उल्लेख किया गया है ग्राम-चकराजमल की भूमि गाटा सं-500/0. 974 हेक्टे 9 लगान 14. 90 बेंतें, 495/0. 025 हेक्टे 9 लगान 00. 30 बेंतें, 496/0. 126 हेक्टे 9 लगान 1. 95 बेंतें के बकरभाग पर बेत विद्या प्रसार समिति सम-आइएसी 1-48/राखंगा बिहार प्रथम पुलित चौकी वाली तेल, सुरादाय महितगत अधिका महेन्द्र प्रसाद सिंह राणा पु नौबदार सिंह नि 0 सम-आइएसी 1-48/आइएसी 0 प्रथम सुरादादा तथा बुब-दाह/तपिय मंडक कुमार चौधान पु रामनाथ निवासी राखंगली का नाम शेर्गी-1 के तहसील प्रमिति के रूप में वर्तमान बांतीनी में दर्ज है। एका-45 के अनुसार उक्त भूमि तहसील प्रमिति के तह में वर्तमान बांतीनी में दर्ज है। तीसरे से प्रमाणित नहीं है। जोके पर गाटा सं-500/0. 974 फूल भाजन व प्रार्थना, गा 495/0. 125 व 496/0. 126 हेक्टे 9 के बकरभाग 1/2 रातो के रूप में प्रयोग किये जा रहे जोके पर उक्त भूमि में कृषिकार्य, बागवानी, बशुशाला, नल्लशाला, कुकुटशाला आदि का नहीं हो रहा है। अतः ग्राम चकराजमल की भूमि गाटा सं-500/0. 974 हेक्टे 9 लगान 14. गाटा सं-495/0. 01 2 हेक्टे 9 लगान 00. 15 बेंतें व गाटा सं-496/0. 063 हेक्टे 9 लगान 1. को अकृषिक घोषित किये जाने की तहसुति की गई है। तदनुसार बहों को नोटिस प्रेषित करे द्वारा प्रार्थना को हुना गया। तथा प्रार्थना का तहसुत उल्लोहन किना प्रार्थना के कथान सं प्रार्थना पर उल्लेख अभिलेखित ताहनों के आधार पर सं राज निरीशक व नाम तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नकशी नकशी के आधार पर ग्राम चकराजमल भूमि गाटा सं-500 रकबा 0. 974 हेक्टे 9 लगान 14. 90 बेंतें, गाटा सं-495/0 रकबा 0. 9 लगान 00. 15 बेंतें व गाटा सं-496/0 रकबा 0. 063 हेक्टे 9 लगान 1. 00 बेंतें पर कृषिकार्य बागवानी, नल्लशाला, बशुशाला, कुकुटशाला आदि का कार्या न होने के कारण प्रमिति को "अकृषिक-भूमि" घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धारा को राजस्व अभिलेखों में दर्जित अंकेन हेतु सं एक प्रति उल्लेख-धारा धामपुर को आकर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाये। तदनुसार नाद दर्ज रजिस्टर कर आरम्भ कार्रवाई के प्रार्थना दाखिल करार हो।



दिनांक 21/1/10

अथ प्रमिति 6/1/10

हस्ताक्षर
परगनाधिकारी धामपुर

प्रतिनिधि बसिनाथ
राखल दलियेव शक
बचकर्ट, किलली

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including names like 'बसिनाथ' and 'राखल'.



आदेश पत्रक

न्यायालय : उप-जिलाधिकारी

मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : धामपुर

वाद संख्या :- 4706/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160304706

बैस शिक्षा प्रसार समिति एम0/एम0/आई0ज0बी0 48 रामगंगा बिहार प्रथम पुलिस चौकी वाली लेन मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक

मयंक कुमार बनाम उपरो सरकार

अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

{-Final निर्णय (08-06-2022)}

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री बैस शिक्षा प्रसार समिति एम0/एम0/आई0ज0बी0 48 रामगंगा बिहार प्रथम पुलिस चौकी वाली लेन मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक मयंक कुमार पुत्र रामनाथ सिंह निवासी ग्राम राहुनंगली परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धामपुर की आख्या दिनांक-26-12-2021 के आधार पर प्रारम्भ हुई। तहसीलदार धामपुर की आख्या में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम चकराजमल परगना व तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1426-31फ0 के खाता सं0 475 गाटा सं0 497मि0 रकबई 0.055है0 पूर्ण भाग व खाता सं0 757 गाटा सं0 497मि0 रकबई 0.073है0 व गाटा सं0 501मि0 रकबई 1.316है0 इस प्रकार कुल रकबई 1.444है0 पर आवेदक द्वारा अभिलेखों में अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। सन्दर्भित भूमि पर मौके पर नींव भरी हुई है। उक्त प्रश्नगत भूमि पर कोई कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन तथा मतस्य पालन के कार्य नहीं किया जा रहा है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। प्रश्नगत भूमि के 200 मी0 त्रिज्या में आबादी स्थित है। इसलिये रेट लिस्ट के अनुसार सरकारी रेट 26,00,000/-रु0 प्रति हैक्टेयर की दर से उक्त भूमि की मालियत 1.316(1.316×26 लाख रु0 प्रति है0+50 प्रतिशत वृद्धि)=51,32,400/-रु0 आती है व गाटा सं0 497मि0 रकबई 0.128 (0.128×55,00000+50 प्रतिशत वृद्धि=10,56000/-) इस प्रकार कुल मालियत 61,88,400/-रु0 आती है जिसका 1 प्रतिशत 61,884/- रु0 देय होता है तथा 1 प्रतिशत 61,884/-रु0 निबन्धन शुल्क होता है। तहसीलदार धामपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अन्त में प्रश्नगत भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शुल्क लिये जाने के उपरान्त अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई है।

मैंने तहसीलदार धामपुर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सहित पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट दिनांक 26-12-2022 के अनुसार भूमि स्थित ग्राम चकराजमल परगना व तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1426-31फ0 के खाता सं0 475 गाटा सं0 497मि0 रकबई 0.055है0 पूर्ण भाग व खाता सं0 757 गाटा सं0 497मि0 रकबई 0.073है0 व गाटा सं0 501मि0 रकबई 1.316है0 इस प्रकार कुल रकबई 1.444है0 पर श्री बैस शिक्षा प्रसार समिति एम0/एम0/आई0ज0बी0 48 रामगंगा बिहार प्रथम पुलिस चौकी वाली लेन मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक मयंक कुमार पुत्र रामनाथ सिंह निवासी ग्राम राहुनंगली परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कोई कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन तथा मतस्य पालन के कार्य नहीं किया जा रहा है, फोटोग्राफ सलग्न है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी

पृष्ठ संख्या: 2

क्रमशः पेज नं0 2 पर





आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : धामपुर
वाद संख्या : -4706/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160304706

बैंगल शिक्षा प्रसार समिति एम0/एम0/आई0बी0 48 रामगंगा बिहार प्रथम पुलिस चौकी वाली लेन मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक
मयंक कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

-2-

है। प्रश्नगत भूमि के 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हैं, जिस कारण 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल मालियत 61,88,400/-रु0 आती है जिसका 1 प्रतिशत 61,884/-रु0 सरकारी कोष में दिनांक 09-02-2022 को चालान द्वारा जमा किया गया है तथा 1 प्रतिशत कोर्ट फीस स्टाम्प भी पत्रावली पर संलग्न है। प्रश्नगत भूमि विवादित नहीं है तथा धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत नहीं आती है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अकृषिक भूमिघोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से 5 वर्ष भीतर प्रस्तावित गैर कृषिक सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो जोत व उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी, इस उपधारा के अधीन घोषणा भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में समझी जायेगी। यह कि उपधारा (2) के अधीन घोषणा का उपधारा (1) के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिये भूमिधर पूर्व में उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिये अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समाधान करने के पश्चात् प्रचलित सर्किल दर पर आगणित संदेय शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम चकराजमल परगना तहसील धामपुर के खाता सं0 475 गाटा सं0 497मि0 रकबई 0.055है0 पूर्ण भाग व खाता सं0 456 गाटा सं0 501मि0 रकबई 1.313है0 व खाता सं0 757 गाटा सं0 497मि0 रकबई 0.073है0 इस प्रकार कुल रकबई 1.444है0 लगान मुताबिक खतौनी को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 उपधारा (2) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह उक्त आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कॉलम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करे। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक धामपुर को इस आशय से भेजी जाये कि इसे अभिलेखों में निःशुल्क पंजीकृत कराये। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मौके पर घोषित अकृषिक भाग को चिन्हित करते हुये नजरी नक्शों में पृथक-पृथक रंगों से आख्या भेजेगें। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक:- 08/06/2022

(विजय वर्धन तोमर)
परगनाधिकारी, धामपुर।

534
[Handwritten notes and signatures]

पृष्ठ संख्या :

01-07-22



खण्डित
खण्डित

29F 700